[ 2019 ] 5 एस. सी. आर. 25

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली

वी.

राम किशन दास

( 2019 की सिविल अपील संख्या 3211)

26 मार्च, 2019

[ डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

आयकर अधिनियम, 1961-एस। 142 ( 2 ए)-मूल्यांकन से पहले जांच विशेष लेखा परीक्षा-प्रस्तुत करने के लिए समय का विस्तार

एस के प्रावधानों के तहत नियुक्त लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट। 142 ( 2 क)-निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता-न्यायाधिकरण द्वारा आदेश कि 'स्वतः संज्ञान' डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2008 शब्द को एस. में डालने से पहले। 142 ( 2(ग) मूल्यांकन अधिकारी के पास लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

नियुक्त यू/एस। 142 ( 2 ए), अपनी मर्जी से, और परिणामस्वरूप, मूल्यांकन यू/एस बनाया गया। 153 ए, मूल्यांकन वर्षों के संबंध में सीमा द्वारा वर्जित था-उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एस के प्रावधान। 142 ( 2 सी), जैसा कि वे संशोधन से पहले थे, द्वारा अधिकार क्षेत्र और अधिकार के प्रयोग को नहीं रोकते थे निर्धारिती द्वारा आवेदन किए बिना, उप-धारा (2 ए) के तहत निर्देशित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए निर्धारण अधिकारी-संशोधन का उद्देश्य अस्पष्टता को दूर करना था और यह स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उप-धारा (2 ए) निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश देने का अधिकार देती है कि

निर्धारिती एक लेखाकार द्वारा खातों का लेखापरीक्षा कराने के लिए, एक राय बनाने पर कि शक्ति का सहारा लेने के लिए प्रावधान में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है। लेखापरीक्षा का आदेश देने की शक्ति मूल्यांकन अधिकारी के पास निहित है। इस शक्ति की एक आवश्यक घटना के रूप में, उप-धारा (2 सी) निर्धारिती पर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व लगाती है। उप-धारा (2 सी) का मूल भाग निर्धारिती पर समय अनुसूची का पालन करने का दायित्व रखता है जो

1.2 इस परंतुक का उद्देश्य ऐसी स्थिति से निपटना था जहां एक निर्धारिती, वैध कारणों से, प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकता है मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। प्रावधान का अधिनियमन एक देने के लिए आवश्यक था

एक निर्धारिती के लिए उपाय जो, वास्तविक कारणों से, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पहली बार में जारी निर्देश का पालन करने में असमर्थ है। इसलिए, परंतुक में कहा गया है कि अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर समय बढ़ा सकता है। "अच्छे और पर्याप्त कारण" की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारिती द्वारा अधिकार के मामले में समय बढ़ाने की मांग नहीं की जा सकती है। वास्तव में, 'मई' अभिव्यक्ति का उपयोग इंगित करता है कि समय बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, यह विवेकाधीन है। [ पैरा 17]

[ 38 - जी-एच; 39-ए-बी]

उप-धारा (2 सी) के मूल भाग के तहत, मूल्यांकन अधिकारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय निर्धारित कर सकता है। 180 दिनों की समग्र सीमा के अधीन, मूल्यांकन अधिकारी को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि किस समय के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी मामले में मूल्यांकन अधिकारी 90 दिनों के अनुदान को अभ्यास को पूरा करने के लिए पर्याप्त मान सकता है। यद्यपि आकलन अधिकारी के पास शक्ति है, पहली बार में, समय की समग्र सीमा के अधीन एक और भी लंबी अवधि तय करने के लिए, वह सीमा के भीतर एक विशेष अवधि तय कर सकती है। तब यह अभिधारणा करना कि मूल्यांकन अधिकारी पहली बार में एक लंबी समय सीमा निर्धारित कर सकता था, लेकिन समय की एक सीमा निर्धारित करने के बाद, उसके बाद समय बढ़ाने से रोक दिया जाता है, एक बेतुका तरीका होगा। व्याख्या। आकलन अधिकारी पहली बार में समय निर्धारित करते समय उचित समय के अनुमान पर ऐसा करेगा जो अभ्यास को पूरा करने और आय कर आयुक्त, नई दिल्ली v.

राम किशन दास

1.4 उप-धारा (2 सी) का परंतुक किसी निर्धारिती के लिए विस्तार के लिए आवेदन करने के लिए एक उपाय बनाता है, जहां किसी वस्तु के लिए और पर्याप्त कारण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

अन्यथा, निर्धारिती को धारा 144 के तहत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के अधीन होने के अलावा धारा 271 के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। निर्धारिती के कहने पर समय बढ़ाकर, मूल्यांकन अधिकारी एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए बुलाए गए मूल आदेश को विधिवत लागू करने की अनुमति देता है। निर्धारिती के पक्ष में परंतुक के तहत एक उपाय के निर्माण का अर्थ उस प्राधिकरण से अलग नहीं किया जा सकता है जो निर्धारण अधिकारी में निहित है, जिसने पहली बार में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट की है, ताकि निर्धारिती द्वारा आवेदन के बिना समय बढ़ाया जा सके। अन्यथा अभिनिर्धारित करना और उप-धारा (2 सी) के परंतुक को निर्धारिती द्वारा अनुरोध किए बिना समय बढ़ाने के निर्धारण अधिकारी के अधिकार को पूर्वनिर्धारित करने के रूप में समझना एक बेतुका परिणाम होगा। निर्धारिती तब इस बात के नियंत्रण में होगा कि समय बढ़ाने की मांग की जाए या नहीं, जहां लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। भले ही लेखा परीक्षक, वास्तविक कारणों से (निर्धारिती के चूक पर असर नहीं डालते हुए), खातों की प्रकृति या जटिलता को ध्यान में रखते हुए, समय सारिणी का पालन करने में असमर्थ था, तब भी निर्धारिती के पास यह निर्धारित करने की एकमात्र और अप्रतिबंधित शक्ति होगी कि क्या विस्तार की मांग की जानी चाहिए। विस्तार की मांग नहीं करने से निर्धारिती को उप-धारा (2 ए) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश देने के अंतर्निहित उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा। विधायिका इस परिणाम का इरादा नहीं रख सकती थी। एक व्याख्या जो अंतर्निहित उद्देश्य को विफल कर देगी

उप-धारा (2 ए) से बचा जाना चाहिए। मूल्यांकन अधिकारी जिसने पहली बार में समय तय किया है, उसे अनिवार्य रूप से

समय निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण की घटना, निर्धारिती द्वारा आवेदन के बिना समय बढ़ाने का हकदार होगा। समय बढ़ाते समय, निर्धारण अधिकारी उप-धारा 2 सी के परंतुक के तहत निर्धारित समय की समग्र सीमा के अधीन होगा। दूसरा, परंतुक का वैकल्पिक निर्माण यह है कि अभिव्यक्ति "और [2019] 5 एस. सी. आर.।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधन की शुरुआत का कारण 1 अप्रैल 2008 से पहले की स्थिति में निहित अस्पष्टता का तत्व था। अस्पष्टता सटीक रूप से इस सवाल पर थी कि क्या मूल्यांकन अधिकारी को केवल इसलिए अपनी मर्जी से समय बढ़ाने से रोका गया था क्योंकि निर्धारिती को विस्तार के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। चूँकि संशोधन का उद्देश्य इस अस्पष्टता को दूर करना था, वित्त अधिनियम द्वारा, संसद ने अनिवार्य रूप से स्थिति को स्पष्ट किया क्योंकि यह संशोधन से पहले मौजूद था। इसके अलावा, संशोधनों के संबंध में पूर्वव्यापी अनुप्रयोग की धारणा मौजूद है। जो प्रक्रियात्मक प्रकृति के होते हैं। [ पैरा 22,23] [42-डी-जी]

मैक्सवेल 11 वीं संस्करण द्वारा कानूनों की व्याख्या,

स्वीट एंड मैक्सवेल (1962) पी 217-संदर्भित।

1.6 यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 142 (2 सी) के प्रावधानों पर रखी गई व्याख्या को अपनाने से निर्धारण अधिकारी धारा 153 बी के तहत मूल्यांकन करने के लिए सीमा की अवधि बढ़ाने में सक्षम होगा। स्पष्टीकरण (iii) जैसा कि वह सामग्री समय पर था, उस अवधि को उस तारीख से हटाने के लिए प्रावधान किया गया था जिस दिन निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को उप-धारा (2 ए) के तहत अपने खातों का ऑडिट कराने का निर्देश दिया था और उस दिन समाप्त होता है जिस दिन निर्धारिती को उस उप-धारा के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। जिस दिन निर्धारिती को लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है

उप-धारा (2 ए) सीमा के उद्देश्य से बहिष्करण की अवधि की पराकाष्ठा को चिह्नित करती है। जहाँ मूल्यांकन अधिकारी

समय बढ़ा दिया गया था, वह अवधि, उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन लेखा परीक्षा का आदेश दिया गया था और उस तारीख के साथ समाप्त होती है जिस दिन निर्धारिती को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, मूल्यांकन तैयार करने के लिए सीमा की अवधि की गणना में बाहर रखा जाएगा। s.153B। समय के बहिष्करण को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत वही रहता है। जिस अधिनियम पर अपवर्जन समाप्त होता है, वह तारीख होती है जिसे निर्धारण अधिकारी मूल रूप से निर्धारित करता है, या इसके लिए विस्तार पर होता है।

रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

[ पैरा 24] [43-एफ-एच; 44-ए-बी] आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम। राम किशन दास

1.7 यह मुद्दा कि क्या विधानमंडल द्वारा लाया गया संशोधन स्पष्टीकरणात्मक है या नहीं।

कानून में अस्पष्टता को दूर करने के लिए संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए। न्यायालय को कानून के सामान्य दायरे और दायरे का उचित सम्मान होगा; जिस उपाय को लागू करने की मांग की गई थी; कानून की पूर्व स्थिति; और विधायिका की क्या शक्ति है।

विचार किया। व्याख्या वैधानिक संदर्भ और विधायी इतिहास के आधार पर मार्ग निर्धारित करने का विषय है।

[ पैरा 25] [44-बी-सी, ई]

1.8 धारा 142 (2 सी) के प्रावधान, जैसा कि वे उस संशोधन से पहले थे जिसे 1.04.2008 से प्रभावी रूप से अधिनियमित किया गया था।

वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा निर्धारिती द्वारा आवेदन किए बिना, उप-धारा (2 ए) के तहत निर्देशित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र और अधिकार के प्रयोग को बाधित नहीं किया गया था। संशोधन का उद्देश्य एक अस्पष्टता को दूर करना था और इसमें स्पष्टीकरणात्मक है

प्रकृति। [ पैरा 26] [44-जी; 45-ए-बी]

जिल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2004) 8 एस. सी. सी. 1: [ 2004 ]

5 पूरक। एस. सी. आर. 272; सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिल

Inc.v आयकर आयुक्त [2005] 279 आईटीआर 310 (एससी); (2005) 12 एससीसी 717: [ 2005 ] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303

पर भरोसा किया।

-

जगतजीत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम आय आयुक्त

कर (1994) 74 कर अधिकारी 8 (पुन. & हर.) : [ 1994 ] 210 आईटीआर

468 ; आयकर आयुक्त, कोचीन बनाम लोकप्रिय

ऑटोमोबाइल (2011) 333 आई. टी. आर. 308; गाजियाबाद

विकास प्राधिकरण बनाम आयकर आयुक्त,

गाजियाबाद (यूपी) (2011) 12 टैक्समैन। कॉम 334

( इलाहाबाद): 2011 एस. सी. सी. ऑन लाइन सभी 1151-अनुमोदित।

आयकर आयुक्त बनाम बिशन स्वरूप राम

किशन एग्रो प्रा. लिमिटेड [2011] 203 टैक्समैन 326 (दिल्ली)

: 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2463-अस्वीकृत।

सहारा इंडिया (फर्म), लखनऊ बनाम भारत के आयुक्त

आयकर, केंद्रीय-I (2008) 14 एस. सी. सी. 151: [ 2008 ] 6 एस. सी. आर. 427; ईश्वर सिंह बिंद्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1969] 1 एस. सी. आर. 219; आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड 2008 (9) एस. सी. सी. 622:

[ 20

19 ] 5 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 2008 ] 12 एस. सी. आर. 17 9; आयकर आयुक्त ( सेंट्रल-I) बनाम वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड [2014] 31 आईटीआर

466 ( एससी); 2015 1 एससीसी 1: [ 2014 ] 12 एससीआर 1037 -

संदर्भित किया गया।

वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत 11 वीं संस्करण (2008)

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[ 2008 ] 6 एससीआर 427

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[ 1969 ] 1 एससीआर 219

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[ 2008 ] 12 एस. सी. आर. 17

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[ 2014 ] 12 एससीआर 1037

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[ 2004 ] 5 पूरक। एससीआर 272

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[ 2005 ] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

( 1994 ) 74 टैक्समैन 8 (पी एंड एच)

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 25

( 2011 ) 333 आईटीआर 308

पै

रा 25

मंजूरी मिल गई।

[ 2011 ] 203 टैक्समैन 326 (दिल्ली) ने अस्वीकार कर दिया।

पै

रा 26

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 321

2019 .

2011 के आई. टी. ए. सं. 237 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 27.05.2011 के निर्णय और आदेश से

के साथ

सिविल अपील सं। 3214 , 3212 , 3213 , 3228 , 3230 , 3215 , 3229 , 3 3219 , 3220 , 3217 , 3221 , 3218 , 3222 , 3223 , 3225 , 3226 , 3224 , 3227 , 3 3232 और 2019 का 3233।

सिविल अपील सं। 4334 , 4599 , 5305 और 2017 का 7076। 2012 की सिविल अपील सं. 2951।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अरिजीत प्रसाद, ए. के. श्रीवास्तव, टी. एम. सी. प्रणय रंजन, सुश्री कीर्ति दुआ, श्रीमती अनिल कटियार, वी. बालाजी, एम. एस.

असाइथनबी, अतुल शर्मा, सी. कन्नन, राकेश के. शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. राम किशन दास

अजय वोहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री कविता झा, वैभव कुलकारी, उदित

नरेश, आर. आर.-एक्स-पार्टी, सुश्री शशि कपिला, विकास मेहता, परवेश, सिद्धार्थ कपिला, वेद जैन, सुश्री किसलया पाराशर, सुबोध एस. पाटिल, सलिल कपूर, सुमित लालचंदानी, सुश्री सौम्या सिंह, प्रवीण स्वरूप, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे. 1. छोड़ दें।

विशेष अनुमति याचिकाओं में दी गई। 2.अपीलों के इस समूह में आयकर अधिनियम 1961-1 के प्रावधानों के एक समूह की व्याख्या शामिल है, विशेष रूप से धारा 142 (2 सी)। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 27 मई को अपने फैसले से

2011 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 2 के 18 सितंबर 2009 के आदेश के खिलाफ राजस्व द्वारा दायर अपीलों के एक समूह को खारिज कर दिया गया। न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि धारा 142 (2 सी) में 1 अप्रैल 2008 से "स्वतः संज्ञान" अभिव्यक्ति को शामिल करने से पहले, निर्धारण अधिकारी के पास समय बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

अपनी मर्जी से उप-धारा (2 ए) के तहत नियुक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचाराधीन निर्धारण वर्षों के संबंध में धारा 153 ए के तहत किया गया निर्धारण सीमा द्वारा वर्जित था।

3. वर्तमान मामलों के समूह में, निर्धारिती का निवेदन है कि निर्धारण अधिकारी के पास धारा के तहत कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं था

142 ( 2 ग), जैसा कि 1 अप्रैल 2008 से पहले था, उप-धारा (2 ए) के प्रावधानों के तहत नियुक्त लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए। संक्षेप में, निवेदन यह है कि निर्धारण अधिकारी को उस तारीख से समय बढ़ाने (180 दिनों से अधिक नहीं) के लिए अधिकृत किया गया था जिस दिन निर्धारिती को उप-धारा (2 ए) के तहत निर्देश प्राप्त हुआ था, केवल निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर और किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए। यदि निर्धारिती ने कोई आवेदन नहीं किया है, तो निर्धारण अधिकारी के पास इसके अनुसार कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा -

निर्धारिती-समय बढ़ाने के लिए।

4. राजस्व ने एक विपरीत स्थिति अपनाई, जिसमें कहा गया कि 1 अप्रैल 2008 से पहले भी, निर्धारण अधिकारी का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए

लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय केवल उस स्थिति तक सीमित नहीं था जिसमें निर्धारिती ने विस्तार के लिए आवेदन किया था।

1 " आई. टी. अधिनियम 1961 "

समान रूप से, सीई अधिनियम, 2008 3 द्वारा 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान अभ्यास के लिए एक प्रावधान को शामिल करने का उद्देश्य केवल एक अस्पष्टता को दूर करना था और

प्रकृति में आईकैटोरी।

5. धारा 142 (2 ए) जैसा कि यह भौतिक समय पर थी, के रूप में प्रदान की गई

बनाम -

निर्धारण अधिकारी को जिन विवरणों की आवश्यकता हो सकती हैः बशर्ते कि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को खातों की इस तरह से लेखा परीक्षा कराने का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक कि निर्धारिती को नहीं दिया गया हो।

सुनवाई का एक उचित अवसर।

धारा 142 की उप-धारा (2 सी) निम्नलिखित शब्दों में थीः

" ( 2 ग) उप-धारा (2 ए) के तहत प्रत्येक रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जाएगी - निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर जो निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाएः

बशर्ते कि निर्धारण अधिकारी, किए गए आवेदन पर

निर्धारिती द्वारा इस संबंध में और किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण से उक्त अवधि को ऐसी आगे की अवधि या अवधियों तक बढ़ा दिया जाए जो वह उचित समझे ताकि अवधि का कुल योग

मूल रूप से निर्धारित और इस प्रकार विस्तारित अवधि या अवधि, किसी भी मामले में, उस तारीख से एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं होगी जिस दिन उप-धारा (2 ए) के तहत निर्देश प्राप्त होता है।

मूल्यांकनकर्ता "।

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम। राम किशन दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

6. वित्त अधिनियम के परिणामस्वरूप, उप-धारा (2 सी) में निम्नलिखित रूप में संशोधन किया गयाः

" ( 2 ग) उप-धारा (2 ए) के तहत प्रत्येक रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जाएगी -

निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर जो हो सके

निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएः

बशर्ते कि निर्धारण अधिकारी, स्वतः या निर्धारिती द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर और किसी अच्छे और पर्याप्त कारण से, उक्त अवधि को ऐसी आगे की अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकता है जो वह उचित समझता है; हालाँकि, मूल रूप से निर्धारित अवधि और इस तरह विस्तारित अवधि या अवधियों का कुल, किसी भी मामले में, उस तारीख से एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं होगा जिस दिन उप-धारा (2 ए) के तहत निर्देश प्राप्त किया जाता है।

निर्धारिती द्वारा "।

7. धारा 153 बी धारा 153 ए के तहत आकलन पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है। स्पष्टीकरण (ii), जैसा कि वह भौतिक समय पर था, बशर्ते कि धारा के प्रयोजनों के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, "उस दिन से शुरू होने वाली अवधि जिस दिन निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को धारा 142 की उप-धारा (2 ए) के तहत अपने खातों की लेखा परीक्षा कराने का निर्देश देता है और उस दिन समाप्त होती है जिस दिन निर्धारिती को उसके तहत ऐसे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। "उप-धारा" को बाहर रखा जाएगा। धारा 142 की उप धारा (2 ए) के तहत निर्देश जारी करते समय, निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार दिया गया था कि वह निर्धारिती से लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे और ऐसे विवरण प्रस्तुत करे जो निर्धारित किए जाएं और जो उसके द्वारा आवश्यक हों। उप-धारा (2 सी) के मूल भाग में यह आदेश दिया गया है कि उप-धारा (2 ए) के तहत रिपोर्ट निर्धारिती द्वारा निर्धारण अधिकारी को उस अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जो निर्धारण अधिकारी द्वारा परंतुक के तहत निर्दिष्ट की गई है, जैसा कि वित्त अधिनियम द्वारा इसके संशोधन से पहले था। निर्धारिती द्वारा किए गए एक आवेदन पर और किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए, निर्धारण अधिकारी को इस शर्त के अधीन अवधि को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया था कि यह उस तारीख से कुल 180 दिनों से अधिक नहीं होगी जिस दिन उप-निदेशक के तहत निर्देश दिया गया था।

निर्धारिती को धारा (2 ए) प्राप्त हो गई है।

19 ] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. व्याख्या के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं वे हैं "एक पर"

निर्धारिती द्वारा इस संबंध में और किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए किया गया आवेदन।

9. सीधे शब्दों में कहें तो निर्धारिती का तर्क है कि उपरोक्त शब्द इंगित करते हैं कि निर्धारण अधिकारी अवधि बढ़ा सकता है, जो

उप-धारा (2 सी) के मूल भाग के तहत केवल निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर और अच्छे और पर्याप्त के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

कारण। इसके विपरीत, राजस्व के अनुसार, निर्धारण अधिकारी, जो उप-धारा (2 ए) के तहत निर्धारिती को अपने खातों का लेखा-परीक्षण कराने का निर्देश जारी करता है, उसके पास रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि निर्दिष्ट करने का अधिकार होता है और 180 दिनों की समग्र सीमा के भीतर निर्धारण अधिकारी के लिए पहली बार में निर्धारित समय को बढ़ाने का अधिकार होता है। राजस्व का मानना है कि प्राधिकरण ने निर्धारिती अधिकारी, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर समय बढ़ाने के लिए, 180 दिनों की समग्र सीमा के अधीन, निर्धारिती द्वारा विस्तार के लिए आवेदन किए बिना समय बढ़ाने के लिए निर्धारण अधिकारी के अधिकार को नहीं छीनता है, जिसने पहले रुख में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय निर्धारित किया है। सबमिस में

राजस्व के संदर्भ में, "और किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए" अभिव्यक्ति का अर्थ तार्किक रूप से "या किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए" किया जाना चाहिए। 10. निर्धारिती की ओर से जिस निवेदन का आग्रह किया गया है, उसे वित्त अधिनियम द्वारा धारा 142 (2 सी) के प्रावधानों में "स्वतः संज्ञान" शब्द को शामिल करने के पीछे के विधायी इरादे को बढ़ावा देकर पुष्ट करने का प्रयास किया गया है। 27 मार्च 2009 के परिपत्र संख्या 1/2009 में धारा 142 (2 सी) में किए गए संशोधनों के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया गया हैः

" 27. निर्धारण अधिकारी को विस्तार करने की शक्ति प्रदान करना

धारा 142 की उप-धारा (2 ए) के तहत विशेष लेखा परीक्षा को पूरा करने का समय

27.1 धारा 142 की उप-धारा (2 ए) से (2 डी) निर्धारण अधिकारी की विशेष लेखापरीक्षा का आदेश देने की शक्ति से संबंधित है। ऐसी शक्ति है

निर्धारिती के खातों की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाना आवश्यक है और

राजस्व का ब्याज।

आय कर के आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. राम शान दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

27.2 उक्त धारा की उप-धारा (2 सी) उस अवधि को निर्दिष्ट करती है जिसके भीतर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। उक्त उप-धारा का परंतुक निर्धारण अधिकारी को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की इस अवधि को बढ़ाने का अधिकार देता है। इसके अलावा, यह भी प्रदान किया जाता है कि मूल रूप से निर्धारित अवधि और इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि का कुल योग विशेष लेखापरीक्षा का निर्देश जारी करने की तारीख से 180 दिनों से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, इस तरह का विस्तार केवल तभी किया जा सकता है जब निर्धारिती द्वारा इस संबंध में आवेदन किया जाता है और इस तरह के विस्तार के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण होते हैं।

27.3 उक्त परंतुक को तर्कसंगत बनाने के लिए, ताकि निर्धारण अधिकारी को स्वतः संज्ञान लेते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति दी जा सके, उक्त परंतुक में संशोधन किया गया है। इसलिए, जबकि निर्धारण अधिकारी के पास अनुदान देने की शक्ति बनी रहेगी

निर्धारिती द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर विस्तार

और जब इस तरह के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण हैं

विस्तार, वह अपने दम पर भी इस तरह का विस्तार दे सकता है।

27.4 प्रयोज्यता-यह संशोधन 1-4-2008 से लागू किया गया है। अतः, इस तिथि और उसके बाद से, निर्धारण अधिकारी के पास पेरिक का विस्तार करने की शक्ति भी होगी।

स्वतः संज्ञान लेते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

11. वित्त विधेयक, 2008 के खंडों पर टिप्पणियों में विंग स्पष्टीकरण हैः

" खंड 28 आय-कर अधिनियम की धारा 142 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जो निर्धारण से पहले जांच से संबंधित है।

उक्त धारा की उप-धारा (2 ए) से (2 डी) विशेष लेखापरीक्षा का आदेश देने के लिए निर्धारण अधिकारी की शक्ति से संबंधित है, जहां प्रकृति और

खातों की जटिलता के लिए इस तरह के लेखापरीक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि

एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की सहायता।

उक्त धारा की उप-धारा (2 सी) उस अवधि को निर्दिष्ट करती है जिसके भीतर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। उक्त उप-धारा के प्रावधान में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर और किसी भी अच्छे और पर्याप्त के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उक्त अवधि बढ़ा सकता है।

कारण।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त परंतुक में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी, स्वतः या निर्धारिती द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर, और किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण से, उक्त अवधि को ऐसी आगे की अवधि या अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

जैसा कि वह उचित समझता है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

समान रूप से वित्त अधिनियम के साथ ज्ञापन

देसः

" उप-धारा (2 ए) के तहत विशेष लेखा परीक्षा को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए निर्धारण अधिकारी को शक्ति प्रदान करना।

धारा 142 का

धारा 142 की उप-धाराएँ (2 ए) से (2 डी) - विशेष लेखापरीक्षा का आदेश देने के लिए निर्धारण अधिकारी। ऐसी शक्ति है

उक्त परंतुक में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि निर्धारण अधिकारी को स्वतः संज्ञान लेते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति दी जा सके। अतः, जबकि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर विस्तार देने की शक्ति बनी रहती है और जब इस तरह के विस्तार के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण होते हैं, तो वह अपने दम पर भी ऐसा विस्तार दे सकता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा। ”

12. उपरोक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया है कि संशोधन का उद्देश्य "आय कर का आकलन करने वाले आयुक्त, नई दिल्ली को भी अनुमति देना था।

राम किशन दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

स्वतः संज्ञान लेते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने के लिए अधिकारी। धारा 142 (2 सी) में संशोधन द्वारा किए गए आवेदन पर विस्तार देने के लिए निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को संरक्षित किया गया है।

संशोधन निर्धारण अधिकारी को स्वतः ही अवधि बढ़ाने की अनुमति देता है। संशोधन 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होने के बाद, निर्धारिती की ओर से यह आग्रह किया गया है कि यह शक्ति इसमें निहित नहीं थी -

उस तारीख से पहले मूल्यांकन अधिकारी। इसके अलावा, विद्वान सलाह

निर्धारिती की ओर से उपस्थित होकर आग्रह किया गया किः

( i) उप-धारा (2 सी) के परंतुक के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का परिणाम स्पष्टीकरण (ii) के तहत मूल्यांकन को पूरा करने के लिए सीमा की अवधि को धारा 153 बी तक बढ़ाना है। यह इस तथ्य का संकेत है कि

विस्तार प्रकृति में प्रक्रियात्मक नहीं है;

( (ii) तारीख तक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश का पालन करने में निर्धारिती की विफलता का परिणाम।

निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है कि धारा के तहत

144 ( 1 ) ( ख), मूल्यांकन अधिकारी को ए तैयार करने का अधिकार है

सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन;

( iii) धारा 153 ख के स्पष्टीकरण (ii) में "उस तारीख को समाप्त होने वाली अभिव्यक्ति जिस पर निर्धारिती को इस तरह के लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है" धारा 153 ख के तहत मूल्यांकन तैयार करने के लिए समय के अपवर्जन की अवधि के अंत को दर्शाती है;

( (iv) धारा 142 (2 सी) की व्याख्या परिणामस्वरूप धारा 153 बी और 144 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए; और

( v) धारा 142 (2 ए) के मूल भाग में 'और' अभिव्यक्ति को सहारा इंडिया (फर्म), लखनऊ बनाम आयकर आयुक्त, केंद्रीय-आई. ए. में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा संयुग्म माना गया है। परंतुक में 'और' अभिव्यक्ति

उप-धारा 2 सी को भी वही अर्थ दिया जाना चाहिए।

13. दूसरी ओर, राजस्व की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है किः

( i) धारा 142 (2 सी) के परंतुक का अर्थ लगाने में, यह मुख्य रूप से वैधानिक प्रावधान की भाषा है जिसका अर्थ लगाया जाना चाहिए;

( उप-धारा (2 सी) में संशोधन प्रावधान में अस्पष्टता के कारण आवश्यक था क्योंकि यह 1 अप्रैल 2008 से पहले था।

( iii) विधायिका ने एक अस्पष्टता को दूर करने के लिए कदम उठाया है, वित्त अधिनियम द्वारा लाया गया संशोधन आवश्यक है।

प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक माना जाए; और

( (iv) संशोधन विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक है और होना चाहिए

चरित्र में पूर्वव्यापी।

14. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब विचार के लिए आती हैं। 15. धारा 142 की उप-धारा (2 ए) निर्धारण को सशक्त बनाती है।

17. इस परंतुक का उद्देश्य ऐसी स्थिति से निपटना था जहां एक निर्धारिती, वैध कारणों से, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकता है। परंतुक का अधिनियमन एक ऐसे निर्धारिती को उपाय देने के लिए आवश्यक था जो वास्तविक कारणों से पहले में जारी निर्देश का पालन करने में असमर्थ है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उदाहरण। इसलिए, परंतुक में कहा गया है कि अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर समय बढ़ा सकता है।

आय कर का अच्छा और पर्याप्त आयुक्त, नई दिल्ली बनाम। राम किशन दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

जे.]

विस्तार के लिए आवेदन, यह याद रखना अच्छा है कि के तहत उप-धारा (2 सी) के मूल भाग में, मूल्यांकन अधिकारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय निर्धारित कर सकता है। 180 दिनों की समग्र सीमा के अधीन, मूल्यांकन अधिकारी पूरी तरह से अधिकार के साथ पहना हुआ है

उस समय का निर्धारण करें जिसके भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी मामले में मूल्यांकन अधिकारी 90 दिनों के अनुदान को अभ्यास को पूरा करने के लिए पर्याप्त मान सकता है। हालांकि आकलन अधिकारी के पास शक्ति है, पहली बार में, समय की समग्र सीमा के अधीन एक और भी लंबी अवधि तय करने के लिए, वह एक तय कर सकती है सीमा के भीतर विशेष अवधि। तब यह अभिधारणा करना कि मूल्यांकन अधिकारी पहली बार में एक लंबी समय सीमा निर्धारित कर सकता था, लेकिन समय की एक सीमा निर्धारित करने के बाद, उसके बाद समय बढ़ाने से रोक दिया जाता है, व्याख्या का एक बेतुका तरीका होगा। आकलन अधिकारी पहली बार में समय निर्धारित करते समय उचित समय के अनुमान पर ऐसा करेगा जो इसे पूरा करने में लगने की संभावना है।

अभ्यास करें और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हालाँकि स्थिति की अनिवार्यताओं के लिए वास्तविक कारणों से या जैसा कि क़ानून इसे "किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए" कहता है, समय बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।

19. स्थिति को देखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले, उप-धारा (2 सी) का परंतुक एक निर्धारिती के लिए विस्तार के लिए आवेदन करने के लिए एक उपाय बनाता है, जहां एक अच्छे और पर्याप्त कारण से, लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अन्यथा, निर्धारिती को धारा 144 के तहत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के अधीन होने के अलावा धारा 271 के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। निर्धारिती के कहने पर समय बढ़ाकर, मूल्यांकन अधिकारी मूल आदेश की अनुमति देता है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट को विधिवत लागू किया जाए। निर्धारिती के पक्ष में परंतुक के तहत एक उपाय के निर्माण का अर्थ उस प्राधिकरण से अलग नहीं किया जा सकता है जो निर्धारण अधिकारी में निहित है, जिसने पहली बार में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट की है, ताकि निर्धारिती द्वारा आवेदन के बिना समय बढ़ाया जा सके। अन्यथा अभिनिर्धारित करना और उप-धारा (2 सी) के परंतुक को [2019] 5 एस. सी. आर. को पूर्वनिर्धारित करने के रूप में समझना।

निर्धारिती द्वारा अनुरोध किए बिना समय बढ़ाने का निर्धारण अधिकारी का अधिकार एक बेतुका परिणाम देगा। निर्धारिती तब इस बात के नियंत्रण में होगा कि समय बढ़ाने की मांग की जाए या नहीं, जहां लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। भले ही लेखा परीक्षक, वास्तविक कारणों से (निर्धारिती के चूक पर असर नहीं डालते हुए), प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समय अनुसूची का पालन करने में असमर्थ था या खातों की जटिलता के कारण, निर्धारिती के पास यह निर्धारित करने की एकमात्र और अप्रतिबंधित शक्ति होगी कि क्या विस्तार की मांग की जानी चाहिए। विस्तार की मांग नहीं करने से अंतर्निहित उद्देश्य विफल हो जाएगा।

अंतर्निहित उप-धारा (2 ए) से बचा जाना चाहिए। मूल्यांकन अधिकारी जिसने पहली बार में समय तय किया है, उसे अनिवार्य रूप से समय निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण की घटना, निर्धारिती द्वारा आवेदन के बिना समय बढ़ाने का हकदार होगा। समय बढ़ाते समय, निर्धारण अधिकारी उप-धारा 2 सी के परंतुक के तहत निर्धारित समय की समग्र सीमा के अधीन होगा।

20. दूसरा, परंतुक का वैकल्पिक निर्माण यह है कि "और किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए" अभिव्यक्ति को पढ़ा जाना चाहिए।

इसका अर्थ है "या किसी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए"। वैधानिक व्याख्या के मामले में, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभिव्यक्ति "और" को किसी दिए गए संदर्भ में "या" के रूप में पढ़ा जा सकता है (इस संदर्भ में ईश्वर सिंह बिंद्रा बनाम यूपी 5 राज्य देखें)। निर्धारिती की ओर से इस निवेदन का विरोध किया गया था। यह आग्रह करते हुए कि उप-धारा (2 ए) के संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा सहारा इंडिया (फर्म), लखनऊ बनाम सी. आई. टी. (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

" और "का उपयोग संयुग्म अर्थ में किया जाता है। निस्संदेह उप-धारा (2 ए) में "और" अभिव्यक्ति को उन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए संयुग्म माना गया है, जिनके आधार पर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा एक राय पर पहुंचा जा सकता है। यह आवश्यक रूप से एक सूचकांक प्रदान नहीं करेगा कि उप-धारा (2 सी) के परंतुक में "और" अभिव्यक्ति का अर्थ कैसे लगाया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की व्याख्या उस संदर्भ पर आधारित होनी चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। उप-धारा (2 सी) के परंतुक में, "और" पद का उपयोग समय बढ़ाने के संबंध में किया जाता है, न कि विशेष लेखा परीक्षा का आदेश देने के लिए राय बनाने के संदर्भ में। शक्ति प्रक्रियात्मक प्रकृति की होती है।

5 ( 1969 ) 1 एस. सी. आर. 219 = ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1450 आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम। राम किशन दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे.]

21. निर्धारिती के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि परंतुक में संशोधन के आसपास के विधायी इतिहास को

वित्त अधिनियम की उप-धारा (2 सी) यह इंगित करेगी कि संशोधन 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होने का इरादा था और इस तारीख से पहले, निर्धारण अधिकारी के पास समय बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, सिवाय निर्धारिती के आवेदन के। 27 मार्च 2009 के परिपत्र 1/2009 से संकेत मिलता है कि संशोधन "उक्त परंतुक को तर्कसंगत बनाने की दृष्टि से" लाया गया था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि परिपत्र 1/2009 में यह अभिव्यक्ति कि संशोधन मूल्यांकन अधिकारी को स्वतः संज्ञान लेते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने की अनुमति देने के लिए था, इंगित करता है कि संशोधन से पहले ऐसी शक्ति मौजूद नहीं थी। निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल यह तथ्य कि संशोधन 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी रूप से किया गया है, यह स्पष्ट करने वाला नहीं है या यह अस्पष्टता को दूर करने के लिए बनाया गया था। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के सांविधिक सिद्धांत

इस मुद्दे की व्याख्या कि क्या कोई वैधानिक प्रावधान पूर्वव्यापी है, का विश्लेषण इस प्रकार किया गया हैः

" " पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होती है। जैसा कि क्रेज़ में कहा गया है और

उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित ' आधुनिक उद्देश्यों के लिए एक घोषणात्मक अधिनियम को सामान्य कानून, या किसी भी क़ानून के अर्थ या प्रभाव के बारे में मौजूद संदेहों को दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह के अधिनियमों को आमतौर पर पूर्वव्यापी माना जाता है। आम तौर पर एक घोषणात्मक अधिनियम पारित करने का कारण क्या अलग रखना है

संसद एक न्यायिक त्रुटि मानती है, चाहे वह सामान्य कानून के कथन में हो या कानूनों की व्याख्या में। आमतौर पर, यदि निश्चित रूप से नहीं, तो ऐसे अधिनियम में एक प्रस्तावना होती है, और "घोषित" शब्द के साथ-साथ "अधिनियमित" शब्द भी होता है। लेकिन 'यह घोषित किया गया है' शब्दों का उपयोग निर्णायक नहीं है कि अधिनियम घोषणात्मक है क्योंकि इन शब्दों का उपयोग कभी-कभी कानून के नए नियमों को लागू करने के लिए किया जा सकता है और बाद के मामले में अधिनियम केवल कानून में संशोधन करेगा और आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं होगा। इसलिए, अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण करने में, रूप के बजाय सार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कोई नया अधिनियम पहले के अधिनियम की 'व्याख्या' करने के लिए है, तो यह बिना किसी उद्देश्य के होगा जब तक कि

पूर्वव्यापी समझा गया। एक व्याख्यात्मक अधिनियम आम तौर पर है

एक स्पष्ट चूक प्रदान करने या संदेह को दूर करने के लिए पारित किया गया

19 ] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूर्ववर्ती अधिनियम के अर्थ के बारे में। यह अच्छी तरह से तय है कि यदि

एक क़ानून पिछले कानून का उपचारात्मक या केवल घोषणात्मक है।

आम तौर पर पूर्वव्यापी संचालन का इरादा होता है। भाषा 'होगी

हमेशा माना जाता है कि 'या' का अर्थ कभी नहीं माना जाएगा

शामिल किया है 'घोषणात्मक है, और सादे शब्दों में है पूर्वव्यापी। स्पष्ट शब्दों के अभाव में यह संकेत देते हुए कि

संशोधन अधिनियम घोषणात्मक है, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि कब

अधिनियम किसी प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध रूप से स्पष्टीकरणात्मक हो सकता है। मूल अधिनियम जो पहले से ही निहित था। एक स्पष्टीकरण

इस प्रकार के संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। '99

( जोर दिया गया)

उपरोक्त उद्धरण इस न्यायालय द्वारा आयुक्त में उद्धृत किया गया था

आयकर-1, अहमदाबाद बनाम गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड "। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने आयकर आयुक्त (केंद्रीय-I) बनाम वाटिका टाउनशिप (P) Ltd.8 में अनुमोदन के साथ उपरोक्त उद्धरण का भी हवाला दिया।

22. खंडों पर टिप्पणियों के साथ-साथ ज्ञापन

वित्त अधिनियम एक विपरीत परिकल्पना का संकेत नहीं देता है। संशोधन की शुरुआत का कारण तत्व के कारण उत्पन्न हुआ

पूर्व स्थिति में निहित अस्पष्टता जो 1 अप्रैल 2008 से पहले थी। अस्पष्टता सटीक रूप से इस सवाल पर थी कि क्या मूल्यांकन अधिकारी को केवल इसलिए अपनी मर्जी से समय बढ़ाने से रोका गया था क्योंकि निर्धारिती को विस्तार के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। चूँकि संशोधन का उद्देश्य इस अस्पष्टता को दूर करना था, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि वित्त अधिनियम द्वारा,

संसद ने अनिवार्य रूप से स्थिति को स्पष्ट किया क्योंकि यह संशोधन से पहले मौजूद था।

23. इसके अलावा, पूर्वव्यापी की एक धारणा मौजूद है

प्रक्रियात्मक प्रकृति के संशोधनों के संबंध में आवेदन। मैक्सवेल की व्याख्या में यह स्थिति बताई गई थी।

क़ानून ":

" हालाँकि, सामान्य सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि इसमें परिवर्तन

प्रक्रिया पूर्वव्यापी है, जब तक कि कोई अच्छा कारण न हो इसके खिलाफ "।

72008 ( 9 ) एस. सी. सी. 622

8 [ 2014 ] 31 आई. टी. आर. 466 (एस. सी.); 2015 1 एस. सी. सी. 1 9 11 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल (1962) पृष्ठ 217 पर आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम।

राम किशन दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

आयकर आयुक्त (केंद्रीय-I) बनाम वाटिका

टाउनशिप (पी) लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 30. हम यह भी बताना चाहेंगे कि पूर्णता के लिए,

कि जहाँ एक कानून द्वारा एक लाभ प्रदान किया जाता है, उसके खिलाफ नियम

कुछ व्यक्तियों पर एक लाभ लेकिन एक को प्रभावित किए बिना किसी अन्य व्यक्ति पर या संबंधित नुकसान

आम तौर पर सार्वजनिक, और ऐसा लाभ कहाँ प्रदान किया जाए

विधायक का उद्देश्य होना, फिर अनुमान यह होगा कि ऐसा कानून, इसे एक उद्देश्यपूर्ण देता है

निर्माण, इसे पूर्वव्यापी दिए जाने की गारंटी देगा प्रभाव पड़ता है। यही प्रक्रियात्मक उपचार का औचित्य है।

पूर्वव्यापी प्रावधान।

31 ..... इस प्रकार, पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ नियम एक है

कानून का मूल नियम कि किसी भी क़ानून का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि

स्पष्ट रूप से अधिनियम की शर्तों में, या आवश्यक और विशिष्ट द्वारा उत्पन्न होता है निहितार्थ। हठधर्मिता से तैयार किया गया, नियम एक से अधिक नहीं है

अनुमान, और इस प्रकार भारी कारकों द्वारा विस्थापित किया जा सकता है।

( जोर दिया गया)

24. हम की ओर से आग्रह किए गए निवेदन में कोई सार नहीं पाते हैं

आकलनकर्ताओं का मानना है कि धारा 142 (2 सी) के प्रावधानों पर हमने जो व्याख्या की है, उसे अपनाने से आकलन अधिकारी धारा 153 बी के तहत मूल्यांकन करने के लिए सीमा की अवधि बढ़ाने में सक्षम होगा। धारा 153 ख (1) का स्पष्टीकरण, जैसा कि वह भौतिक समय पर था, उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि के अपवर्जन के लिए प्रावधान करता है जिस दिन निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को धारा 142 की उप-धारा (2 ए) के तहत अपने खातों की लेखा परीक्षा कराने का निर्देश दिया था और उस दिन समाप्त होता है जिस दिन निर्धारिती को उस उप-धारा के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। जिस दिन निर्धारिती को उप-धारा (2 ए) के तहत लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, वह सीमा के उद्देश्य से बहिष्करण की अवधि की पराकाष्ठा को चिह्नित करता है। जहां निर्धारण अधिकारी ने समय बढ़ाया था, उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि, जिस पर लेखा परीक्षा का आदेश दिया गया था और

उस तारीख के साथ समाप्त होती है जिस पर निर्धारिती को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, को गणना [2019] 5 एस. सी. आर. में शामिल नहीं किया जाएगा।

धारा 153 ख के तहत मूल्यांकन तैयार करने के लिए सीमा की अवधि। समय के बहिष्करण को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत वही रहता है। जिस अधिनियम पर बहिष्करण समाप्त होता है, वह तारीख होती है जिसे निर्धारण अधिकारी मूल रूप से निर्धारित करता है, या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तार पर।

कानून में अस्पष्टता को दूर करना संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए। द. न्यायालय को (i) के सामान्य दायरे और दायरे का उचित ध्यान रखना होगा।

कानून; (ii) उपचार लागू करने की मांग की गई; (iii) कानून की पूर्व स्थिति।

कानून; और (iv) विधायिका ने किस शक्ति पर विचार किया (जिल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 10 1 देखें)। सेडको फॉरेक्स में निर्णय इंटरनेशनल ड्रिल इंक. बनाम आयकर आयुक्त 1 1 जिस पर

मूल्यांकनकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने 1 अप्रैल 2000 से आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 9 (1) (ii) के स्पष्टीकरण का प्रतिस्थापन शामिल किया। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि धारा 9 (1) (ii) के विधायी इतिहास में, यह केवल यह माना जा सकता है कि इसे जानबूझकर 1 अप्रैल 2000 से लागू किया गया था और इसलिए

संभावित होने का इरादा है। इसका अर्थ सीबीडीटी और वित्त अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के व्याख्यात्मक टिप्पणियों में भी लगाया गया था। जैसा कि हमने संकेत दिया है, व्याख्या वैधानिक संदर्भ और विधायी इतिहास के आधार पर मार्ग निर्धारित करने का विषय है। यह विचार रखते हुए कि हमारे पास है, हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि इसी दृष्टिकोण को कई उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया गया था। उनमें से हैं (i) जगतजीत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। आयकर आयुक्त 1 2 12; ( (ii) केरल उच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त, कोचीन बनाम लोकप्रिय मामले में

ऑटोमोबाइल 1 3; और (iii) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम आयकर आयुक्त में इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

गाजियाबाद (यूपी) 1 4. लोकप्रिय ऑटोमोबाइल (ऊपर) में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय इन कार्यवाहियों में 2012 की सिविल अपील संख्या 2951 का विषय है। 26. जिन कारणों को हमने जोड़ा है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 142 (2 सी) के प्रावधान

1 0 (2004) 8 एससीसी 1

11 1 1 [2005] 279 आई. टी. आर. 310 (एस. सी.); (2005) 12 एस. सी. सी. 717 1 2 12 (1994) 74 कर अधिकारी 8 (पुन. & हर.) ; [ 1994 ] 210 आईटीआर 468 13 (2011) 333 आईटीआर 308

1 4 (2011) 12 टैक्समैन। कॉम 334 (इलाहाबाद); 2011 एस. सी. सी. ऑन लाइन सभी 1151 आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम।

राम किशन दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

1961 , जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा 1 अप्रैल 2008 से लागू किए गए संशोधन से पहले थे, निर्धारिती द्वारा आवेदन किए बिना, उप-धारा (2 ए) के तहत निर्देशित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र और अधिकार के प्रयोग को बाधित नहीं करते थे। हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि संशोधन का उद्देश्य एक अस्पष्टता को दूर करना था और यह स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है। अपने निर्णय के परिणामस्वरूप, हम विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले को रद्द करते हैं।

आयकर आयुक्त बनाम बिशन स्वरूप राम किशन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। Ltd.[1]5 दिनांक 27 मई 2011। 27. तदनुसार, सिविल अपील @एस. एल. पी. (सी) संख्या 6082,7573,8761 और 2012 की सी. ए. संख्या 2951 को फाइल में बहाल कर दिया गया है।

योग्यता पर निर्णय के लिए आयकर आयुक्त (अपील)। सिविल

अपील @एसएलपी (सी) 2012 की संख्या 2808,2811,36496,6680,36495,11869,12026,12027,10190,9720,8512,2810,7660,9463,16130,27681; 2017 की सिविल अपील संख्या 4599,4334,7076; सिविल अपील @एसएलपी (सी) 2017 की संख्या 17500,10248,10247 और 2017 की सी. ए. संख्या 5305 हैं योग्यता पर निर्णय के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की फाइल में पुनर्स्थापित किया गया।

28. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन

15 [ 2011 ] 203 टैक्समैन 326 (दिल्ली)-आई. टी. ए. No.1775/2010-2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2463